

जी. सी. मित्तल के समक्ष
 रामचन्द्र और अन्य -अपीलार्थी
 बनाम
 हरियाणा राज्य और एक अन्य,-प्रतिवादी

नियमित प्रथम अपील सं. 1978 की 1765।

22 मई, 1980.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (1894 का 1)-खंड 9 और 25- खंड 9 के तहत दावा दायर करने के लिए भूमि मालिकों को जारी किया गया नोटिस- भूमि के बाजार मूल्य पर मुआवजे के लिए दायर किया गया लिखित दावा- उसमें कोई विशिष्ट राशि का दावा नहीं किया गया है-मौखिक दावा हालांकि मुआवजे के रूप में विशिष्ट राशि का दावा किया गया है-ऐसे मौखिक दावे-चाहे स्वीकार्य हों-ऐसी स्थिति में संदर्भ-चाहे खंड 25 द्वारा वर्जित हो।

अभिनिर्धारित किया गया कि यह संभव है कि एक मामले में लिखित दावा दायर किया जा सकता है और दूसरे मामले में केवल मौखिक दावा दायर किया जा सकता है और फिर भी दूसरे मामले में यह संभव है कि लिखित और मौखिक दावे दायर किए जा सकते हैं। ये दावे भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के खंड 9 के संदर्भ में सक्षम होंगे और इसलिए अधिनियम की खंड 25 के संदर्भ में संदर्भ को प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। (पैरा 6)।

नियमित पहली अपील श्री जे. सी. नागपाल, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रोहतक, दिनांक 31 अगस्त, 1978 के न्यायालय के आदेश में कहा गया है कि इसका बाजार मूल्य रु. 100 प्रति मरला लेकिन संदर्भ आवेदन समय से प्रतिबंधित था और दावेदारों द्वारा कोई विशिष्ट दावा नहीं किया गया था और वे संदर्भ को बढ़ाने और अंततः अस्वीकार करने के हकदार नहीं हैं

अपीलकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी. एस. गाँधी।
 भूप सिंह, अतिरिक्त ए. जी. (एच) और एस. एस. अहलावत, अधिवक्ताप्रतिवादी के लिए।
 न्याय

गोकल चंद मित्तल, जे.

(1) 30 जनवरी 1973 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा हरियाणा राज्य ने गांव बोहर जिला रोहतक में 132 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने दिनांक 28 नवंबर 1973 को अनुग्रह देकर 6,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया। दावेदारों ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम (इसके बाद इसे अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 18 के तहत संदर्भ मांगा, जिसे कलेक्टर द्वारा समय के भीतर पाया गया,

लेकिन जब मामला अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के समक्ष आया, तो राज्य ने आपत्ति जताई कि संदर्भ आवेदन समय द्वारा वर्जित था और अधिनियम की खंड 9 के तहत नोटिस के जवाब में कोई विशिष्ट दावा नहीं किया गया था और इसलिए, अधिनियम की खंड 25 के आधार पर, संदर्भ आवेदन सक्षम नहीं था और भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिए गए मुआवजे में बदलाव नहीं किया जा सकता था।

(2) दलों की प्रतिस्पर्धा पर, निम्नलिखित मुद्दे तैयार किए गए थे:—

- (1) क्या दावेदार द्वारा की गई याचिका या संदर्भ समय द्वारा वर्जित है क्योंकि अनुदान की घोषणा 28 नवंबर, 1973 को की गई थी, जबकि संदर्भ बनाने के लिए आवेदन 14 जनवरी, 1974 को किया गया था?
- (2) क्या आवेदन में संशोधन की आवश्यकता है जैसा कि प्रतिवादी-राज्य के लिखित बयान की प्रारंभिक आपत्ति संख्या 2 में बताया गया है?
- (3) भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना की तिथि पर प्रश्नगत/विचाराधीन भूमि का बाजार मूल्य क्या था?
- (4) क्या यह अनुदान बुरा था जैसा कि याचिकाकर्ता की प्रतिकृति में आरोप लगाया गया है क्योंकि अनुदान की घोषणा के समय या अनुदान में दिए गए समय के भीतर मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था?
- (5) क्या दावेदार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की खंड 25 के तहत वर्तमान आवेदन करने से रोक दिया गया है?
- (6) राहत

सबूत पेश किए जाने के बाद 31 अगस्त, 1978 के आदेश द्वारा रोहतक के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने पाया कि बाजार मूल्य रु 100 प्रति मरला।लेकिन यह अभिनिर्धारित किया कि संदर्भ आवेदन समयबद्ध था और दावेदारों द्वारा कोई विशिष्ट दावा नहीं किया गया था और इसलिए, वे वृद्धि के हकदार नहीं थे और इन टिप्पणियों के साथ, संदर्भ को अस्वीकार कर दिया।अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के उपरोक्त फैसले के खिलाफ दावेदार इस अदालत में अपील करने आए हैं।

राम चंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य
(जी. सी. मित्तल, जे.)

(3) विद्वत अतिरिक्त महाधिवक्ता ने एक प्रारंभिक, आपत्ति उठाई है कि इस न्यायालय में कोई भी अपील सक्षम नहीं है क्योंकि संदर्भ को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया है कि यह समय बाधित था। इस मुद्दे पर मैंने पहले ही पोखर सिंह बनाम हरियाणा राज्य ⁽¹⁾ में विचार किया है और मैंने माना है कि अपील सक्षम है। इसलिए, पोखर सिंह के मामले (ऊपर 1) में दर्ज कारणों के लिए, मैं मानता हूँ कि अपील सक्षम है।

(4) जहां तक अधिग्रहीत भूमि के बाजार मूल्य का सवाल है, दोनों पक्षों में मतभेद नहीं है और वे इस बात पर सहमत हैं कि बलबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ⁽²⁾ मामले में इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के मद्देनजर यह 140 रुपये प्रति मरला होगा। जो उसी गांव में तीन साल से अधिक पहले हुए अधिग्रहण से संबंधित है।

(5) इस मामले में, सीमा अधिनियम की खंड 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए कोई आवेदन नहीं था, लेकिन 14 फरवरी, 1974 को दायर संदर्भ आवेदन में ही दावेदारों ने कहा था कि 11 फरवरी, 1974 को फाइल के निरीक्षण पर उन्हें पता चला कि अनुदान 28 नवंबर, 1973 को दिया गया था। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने यह मानते हुए मामला जिला न्यायालय को भेज दिया कि यह समय के भीतर था। नीचे दिए गए विद्वत न्यायालय ने केवल दो तिथियों की घोषणा की है, अर्थात्, जिस तारीख को अनुदान की घोषणा की गई थी और संदर्भ आवेदन दाखिल करने की तारीख, और अभिलेख पर अन्य मामलों की घोषणा किए बिना, यह अभिनिर्धारित किया कि संदर्भ समय से बाधित था। जिन सात संदर्भों पर उनके द्वारा विचार किया जा रहा था, वे उसी अधिग्रहण कार्यवाही से उत्पन्न हुए थे। दावा दायर के लिए अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस भी 28 नवंबर 1973 को दिया गया था और उसी दिन सभी मामलों में फैसला भी दिया गया था। सभी संदर्भ आवेदनों को नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा एक साथ निपटाया गया है और साक्ष्य भी एक स्थान पर दर्ज किए गए थे। इसलिए, पोखर सिंह के मामले (ऊपर) में इस संबंध में अधिकांश मामले मेरे द्वारा पहले ही बताए जा चुके हैं और इसे फिर से दोहराने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, कुछ अतिरिक्त तथ्य भी ध्यान देने योग्य हैं। आर. डब्ल्यू. 2 के अनुसार, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, दलीप के रीडर हजारी सिंह, जो चार दावेदारों में से एक हैं, बयान देने के साथ-साथ अनुदान/ अनुग्रह की घोषणा के समय भी उपस्थित थे। अन्य तीन दावेदार मौजूद नहीं थे।

(1) आर. एफ. ए. 1707-78, 21 मई, 1980 को निर्णय किया गया

(2) 1979 पी. एल. जे. 416.

और यह नहीं दिखाया गया है कि दलीप को उनका प्रतिनिधित्व करने का अधिकार था और इसलिए, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के लिए अधिनियम की खंड 12 (2) के अनुसार उन्हें अनुदान/ अनुग्रह की जानकारी देना आवश्यक था। अधिनियम की खंड 12 (2) भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को अपने अनुदान/ अनुग्रह की जानकारी उन सभी व्यक्तियों को देने का कर्तव्य देती है जो व्यक्तिगत रूप से या उनके प्रतिनिधियों द्वारा उनके सामने उपस्थित नहीं हैं। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण कलेक्टर को खंड 12 (2) द्वारा अपेक्षित अधिनिर्णय के बारे में उन्हें नोटिस जारी करना चाहिए था और ऐसा करने में उनकी विफलता अन्य तीन दावेदारों की ओर से समय की पाबंदी के रूप में संदर्भ नहीं दे सकती है, क्योंकि यह अधिनिर्णय की घोषणा की तारीख से छह महीने की अवधि में दायर किया गया था। पंजाब राज्य बनाम एम. एस. टी. कैसर जहां बेगम और एक अन्य⁽³⁾ के अनुसार, छह महीने की सीमा अनुदान की सामग्री की जानकारी की तारीख से शुरू होती है। इसलिए, जहां तक तीन अन्य दावेदारों का संबंध है, उनका दावा आवेदन, किसी भी स्थिति में, सीमा के भीतर था। जहां तक दलीप का संबंध है, जो दावा दायर करने के लिए भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के समक्ष उपस्थित थे, उनका मामला पोखर सिंह के मामले (सुप्रा) में दावेदार के मामले के समान है और उसमें दर्ज कारणों से, मेरा मानना है कि वह भी उपस्थित नहीं थे। अनुदान की घोषणा का समय और इसलिए, उसके लिए भी, सीमा ज्ञान की तारीख से छह महीने होगी और उसका संदर्भ आवेदन भी अनुदान की तारीख से छह महीने के भीतर ही होगा। इसलिए मेरा मानना है कि सभी दावेदारों का संदर्भ आवेदन समय के भीतर था और मैं इस संबंध में नीचे दिए गए न्यायालय के निष्कर्ष को उलट देता हूँ।

(6) यह मुझे इस सवाल पर लाता है कि क्या दावेदारों ने अधिनियम की धारा 9 के तहत नोटिस के अनुसरण में किसी विशिष्ट राशि के लिए दावा किया था या नहीं। यह सच है कि जो दावा दायर किया गया था उसमें यह कहा गया था कि उन्हें बाजार मूल्य की अनुमति दी जानी चाहिए लेकिन मौखिक रूप से उन्होंने 50,000 रुपये से लेकर 60,000 रुपये प्रति एकड़ तक का दावा किया, जिसका उल्लेख भूमि अधिग्रहण कलेक्टर के अनुदान / अनुग्रह में स्पष्ट रूप से मिलता है। अनुदान/ अनुग्रह के पैरा 5 को पढ़ने से ही पता चल जाएगा। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने अनुदान / अनुग्रह में स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनके सामने उपस्थित दावेदारों ने रु 50, 000 से रु 60, 000 प्रति एकड़ मुआवजे का दावा किया था। विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता ने काफी हद तक स्वीकार किया है कि

(3) ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1604.

राम चंदर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और एक अन्य
(जी. सी. मित्तल, जे.)

लिखित रूप में दावा करना कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका आग्रह है कि वर्तमान मामले में एक लिखित दावा किया गया था और इसलिए, कोई मौखिक दावा प्रस्तुत करने का कोई सवाल ही नहीं था। यह संभव है कि एक मामले में केवल लिखित दावा दायर किया जा सकता है और दूसरे मामले में केवल मौखिक दावा दायर किया जा सकता है और फिर भी एक अन्य मामले में यह संभव है कि लिखित के साथ-साथ मौखिक दावे भी दायर किए जा सकते हैं। वर्तमान मामला तीसरी तरह का है, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड पर एक लिखित दावा मिला है जिसमें राशि निर्दिष्ट नहीं की गई है और मौखिक दावा अनुदान में ही देखा गया है जो विशेष रूप से 50,000 रुपये से 60,000 रुपये प्रति एकड़ तक है। तदनुसार, निचली अदालत भूमि अधिग्रहण लेक्टर के फैसले के पैरा 5 के बावजूद इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती कर रही थी कि कोई विशिष्ट दावा नहीं किया गया था और इसलिए, अधिनियम की धारा 25 के तहत संदर्भ वर्जित था। तदनुसार, मैं इस संबंध में निचली अदालत के निष्कर्ष को भी उलट देता हूँ।

(7) चूंकि नीचे की अदालत द्वारा दर्ज किए गए दोनों प्रतिकूल निष्कर्षों को मेरे द्वारा उलट दिया गया है, इसलिए दावेदार इस अदालत में भुगतान की गई अदालती फीस के अधीन 140 रुपये प्रति मरला की दर से मुआवजे के हकदार होंगे।

(8) ऊपर दर्ज किए गए कारणों से यह अपील आनुपातिक लागत के साथ स्वीकार की जाती है और दावेदार भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दिए गए 6000 रुपये प्रति एकड़ के बजाय 140 रुपये प्रति मरला की दर से मुआवजे के हकदार होंगे, लेकिन बढ़ी हुई राशि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा दी गई राशि से 8000 रुपये अधिक नहीं होगी, इस अदालत में 950.30 रुपये की अदालती फीस का भुगतान किया गया है। इसके अलावा उपरोक्त दावेदार कब्जा लेने की तारीख से भुगतान तक बढ़ी हुई राशि पर 15% सोलेशियम और 6% प्रति वर्ष ब्याज के हकदार होंगे, वकील का शुल्क 100 रुपये होगा।

आर. एस. बी.

45368 आई. एल. आर.-गवर्नमेंट प्रेस, यू. टी., सीएचडी.

अस्वीकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ कर और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यन्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

प्रमाणित द्वारा:

सोनिया (अनुवादक/सहायक)

जिला एवं सत्र न्यायालय, पानीपत

